

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] No. 393] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

# श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

का.आ. 506(अ).—केंद्रीय सरकार खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 83 की उप-धारा (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी भी भूमि के उपर खान और किसी भी भूमि के नीचे खान में नियोजित स्त्री को खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के उपबंधों से निम्नलिखित शर्तों पर छूट प्रदान करती है:—

- (क) किसी भी सतही खान में नियोजित स्त्री के मामले में,
  - (i) खान का स्वामी सतही खान, जिसमें विवरत खनित सम्मिलित है, में संध्या 7:00 बजे से प्रात: 6:00 बजे के बीच स्त्री को अभिनियोजित कर सकता है;
  - (ii) यह अभिनियोजित संबंधित स्त्री कर्मचारी की लिखित सहमति के उपरान्त किया जाएगा;
  - (iii) अभिनियोजित स्त्री को व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित पर्याप्त सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान की जाएगी;
  - (iv) स्त्री का अभिनियोजन मुख्य खान निरीक्षक द्वारा समय-समय पर, इस संबंध में जारी किए गये मार्गदर्शिका के आधार पर मानक प्रचालन प्रक्रिया को विरचित करने तथा कार्यान्वयन की शर्त पर किया जाएगा:
  - (v) स्त्री का अभियोजन एक पाली में कम से कम तीन के समूह में किया जाएगा;
- (ख) किसी भी भूमि के नीचे खान में नियोजित स्त्री के मामले में,—
  - (i) खान का स्वामी भूमि के नीचे खान में जहाँ लगातार उपस्थिति की आवश्यकता अपेक्षित नहीं है, प्रात: 6:00 बजे से संध्या 7:00 बजे के बीच स्त्री को तकनीकी, पर्यवेक्षी तथा प्रबंधकीय कार्य पर नियोजित कर सकता है;
  - (ii) यह अभिनियोजन संबंधित स्त्री के लिखित सहमति के उपरान्त किया जाएगा;
  - (iii) अभिनियोजित स्त्री को व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित पर्याप्त सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान की जाएगी;

577 GI/2019 (1)

- (iv) स्त्री का अभिनियोजन मुख्य खान निरीक्षक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये मार्गदर्शिका के आधार पर मानक प्रचालन प्रक्रिया को विरचित करने तथा कार्यान्वयन की शर्त पर किया जाएगा;
- (v) स्त्री का अभिनियोजन कम से कम तीन के समूह में किया जाएगा;

[फा. सं. जेड-16025/45/2017-आईएसएच-II] कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

- **S.O.** 506(E).—In exercise of the power conferred under sub-section (1) of section 83 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby exempts the women employed in any mine above ground and in any mine below ground from the provisions of section 46 of the Mines Act, 1952, subject to the following conditions, namely:—
- (a) in the case of women employed in any mine above ground,—
  - (i) the owner of a mine may deploy women between the hours of 7 pm and 6 am in the mine above ground including opencast workings;
  - (ii) the deployment of women shall be after obtaining the written consent of the concerned woman employee;
  - (iii) the women so deployed shall be provided with adequate facilities and safeguards regarding occupational safety, security and health;
  - (iv) the deployment of women shall be subject to the framing and implementation of Standard Operating procedures on the basis of the guidelines issued in this regard by the Chief Inspector of Mines from time to time:
  - (v) the deployment of women shall be in a group of not less than three in a shift.
- (b) in the case of women employed in any mine below ground,—
  - (i) the owner of a mine may deploy women between the hours of 6 am and 7pm in technical, supervisory and managerial work where continuous presence may not be required.
  - (ii) the deployment of women shall be after obtaining the written consent of the concerned woman employee;
  - (iii) the women so deployed shall be provided with adequate facilities and safeguards regarding occupational safety, security and health;
  - (iv) the deployment of women shall be subject to the framing and implementation of Standard Operating Procedures on the basis of the guidelines issued in this regard by the Chief Inspector of Mines from time to time;
  - (v) the deployment of women shall be in a group of not less than three.

[F. No. Z-16025/45/2017-ISH-II]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.